संख्या-47/2016/आर-732/26-3-2016-10(36)/2002

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 मार्च 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्र्तगत अत्याचारों से उत्पीडि़त अनुसूचित जनजातियों की सहायतार्थ योजनान्र्तगत आयोजनागत पक्ष में कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत व्यय हुयी धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-462/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक29.02.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीडि़त अनुसूचित जनजातियों की सहायता योजना में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि रूपया-8.50/-लाख (रूपया आठ लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र, झांसी, ललितपुर में व्यय हुयी कुल धनराशि रूपया-23.85 लाख को समायोजन के पश्चात व्ययाधिक्य की धनराशि रूपया-15.35 लाख (रूपया पन्द्रह लाख पैतिस हजार मात्र) को संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर ब्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4)-स्वीक़त की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्त्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त तक कर लिया जायेगा और व्यय की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्र्तगत लेखा शीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचारो से उत्पीडि़त अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-बी-2/204-दस-2016, दिनांक-11 मार्च 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-47/2016/आर-732(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
5- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी०एम०-9 भाग-1

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-150)

अनुदान संख्या-81- समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) आयोजनागत वित्तीय वर्ष 2015-16 (रू० हजार में)

| निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित सक्रमण | | | | | | निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) | लेखाशीर्षक-15 डिजिट में | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 3970 | 1985 | 1535 | 1535 | 2435 | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 850 | 2385 | 1535 | 1535 | 2385 |
| | 3970 | 1985 | 1535 | 1535 | 2435 | | 850 | 2385 | 1535 | 1535 | 2385 |

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क. प्रश्नगत योजना में माग न होने के कारण तथा धनराशि अप्रयुक्त न होने के कारण बचत हो रही है।

2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

क. प्रश्नगत योजना में माग होने के फलस्वरूप अधिक व्यय है, परन्तु बजट प्राविधान रूपया-8.50 लाख ही है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर०बी०-504/दस-3-356/दस-2016 दिनांक 11 मार्च 2016

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र०, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

—2

-2-

पृ०संख्या-[illegible]/2016/आर० [illegible]/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन०आई०सी०योजना भवन, लखनऊ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।